# फर्द अहकाम

अजीत सिंह बनाम नाथूलाल वगै.

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 61/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | ~~18/01/24~~ | ~~पत्रावली पेश हुई~~ |
| | 13/01/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थ पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। वकील वादी की बहस को श्रवण किया गया तथा, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद को तकासीम हेतु निर्णित किया जाता है तथा वाद में बंटवारा किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है।<br>पत्रावली कॉलम खारिज होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ |

52

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण**
**पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS**

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 61 / 2024 | 13 / 05 / 2024 | 13 / 01 / 2025 |

1. अजीत सिंह पुत्र वीरीसिंह जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी, मथूरा रोड, भरतपुर, जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र पांच्या जाति माली निवासी ग्राम धूलारावजी तहसील आंधी।
2. अशोक कुमार पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम धूलारावजी तहसील आंधी।
3. सुभाष कुमार पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम धूलारावजी तहसील आंधी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर।
5. उप पंजियक महोदय, आंधी तहसील आंधी, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।

**दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट**

### –: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 74 खसरा नम्बर 201 रकबा 2.4200है0 ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 26.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

### –: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

| वर्तमान जमाबन्दी अनुसार | आराजी नम्बर | रकबा है0 | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|
| अजीतसिंह पुत्र वीरसिंह हि0 1/2 जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी, एफसीआई के पास, मथूरा रोड, भरतपुर, खातेदार, अशोक कुमार पुत्र सोहमलाल हि0 1/8 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/8 पूर्ण खाता बैक ऑफ इंडिया | 201 | 2.4200 | चाही 2 | – |

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] [illegible] नाथूलाल पुत्र पाच्या हि0 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/4 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोहनपुरा जयपुर, सुभाष कुमार पुत्र सोहनलाल हि0 1/8 जाति माली सा0देह खातेदार। | | | | |
| योग | किता 1 | 2.4200 | — | — |

—: प्रस्तावित :—

| प्रस्तावित | आराजी नम्बर | है0 | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|
| अजीतसिंह पुत्र वीरीसिंह हि0 पूर्ण ब0ह0 जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी, एफसीआई के पास, मथुरा रोड, भरतपुर खातेदार, | 201/1 | 1.21 | चाही 2 | — |
| योग | किता 1 | 1.21 | — | — |
| अशोक कुमार, सुभाष कुमार पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 नाथूलाल पुत्र पाच्या हि0 1/2 समस्त जाति माली सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बद0 जमाबन्दी। | 201 | 1.21 | चाही 2 | — |
| योग | किता 1 | 1.21 | — | — |

ोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

र्णय आज दिनांक 13/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़